RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग सात

वर्ष ४, अंक २०] बुधवार, जुलै १८, २०१८/आषाढ २७, शके १९४० [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ४०

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १८ जुलाई, २०१८ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :-

L. A. BILL No. LVI OF 2018.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LEGISLATURE MEMBER'S SALARIES AND ALLOWANCES ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ५६ सन् २०१८।

महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी विधेयक।

सन् १९५६ का ४९।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ कहलाए।

(२) यह २४ अगस्त २०१६ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९५६ का ४९ की धारा ५ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम की धारा ५, की उप-धारा (१) का,— सन् १९५६ का ४९।

(क) प्रथम परन्तुक, अपमार्जित किया जायेगा ;

(ख) द्वितीय परन्तुक में, " परन्तु यह और भी कि " शब्दों के स्थान में, " परन्तु " शब्द रखा जायेगा ;

(ग) तृतीय परन्तुक में, " परन्तु यह और भी कि " शब्दों के स्थान में, " परन्तु यह और कि " शब्द रखे जायेंगे ;

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम (सन् १९५६ का ४९), **अन्य बातों के साथ साथ,** दैनिक भत्ता, बैठक भत्ता, दूरध्वनी भत्ता, सत्कार भत्ता आदि जैसे राज्य विधानमंडल सदस्यों के वेतन और कतिपय अन्य भत्तों की अदायगी का उपबंध करता हैं। उक्त अधिनियम की धारा ५ की उप-धारा (१), का खण्ड (दो) के अधीन, राज्य विधानमंडल के सदस्य रेल या स्टीमर द्वारा यात्रा के अतिरिक्त में सड़क, समुद्र या नदी द्वारा यात्रा के लिए प्रति मैल जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी दर पर यात्रा भत्ता पाने के लिये हकदार है और इस प्रयोजन के लिए दर, २४ अगस्त २०१६ के प्रभाव से महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य (भत्ता) नियम, १९५९ के नियम ५, के उप-नियम (१) के, खण्ड (ग) में, प्रति किलोमीटर पंद्रह रुपयों के रूप में विहित किये गये है। क्योंकि, उक्त धारा ५ की, उप-धारा (१) के, प्रथम परन्तुक के अधीन, राज्य विधानमंडल के सदस्य सामान्य रुप से निवास करता है, या ऐसे स्थान में कारोबार करता हैं जहाँ ऐसा सत्र या बैठक ली जाती है या जहाँ सदस्य के रुप में कर्तव्यों से जुड़ा कारोबार करता हैं तो उसके निवास के स्थान या कारोबार के स्थान से और तक उसके द्वारा की जानेवाली यात्रा के लिए यात्रा भत्ता के लिए, जहाँ ऐसा सत्र या बैठक ली जाती है या सदस्य के रुप में उसके कर्तव्यों से जुड़ा कारोबार करते हैं तो प्रति किलोमीटर छह रुपयों की दर के लिए हकदार होंगे। राज्य विधानमंडल के सभी सदस्यों को अदा किया जानेवाले यात्रा भत्तों की दर में एकसमानता लाने के उद्देश्य से, २४ अगस्त २०१६ के प्रभाव से उक्त धारा ५ की उप-धारा (१) का प्रथम परन्तुक अपमार्जित करने का प्रस्तावित किया गया है, ताकि, राज्य विधानमंडल के सदस्य साधारण निवास करते है या जिस स्थान में कारोबार करते है वहाँ ऐसा सत्र या बैठक ली जाती हैं या जहाँ सदस्य के रुप में कर्तव्यों से जुड़ा कारोबार करते हैं तो वहाँ से उक्त नियम ५ के अधीन यात्रा भत्ता के लिए भी हकदार होंगे। प्रथम परन्तुक के अपमार्जन के परिणामस्वरुप, उक्त धारा ५ की उप-धारा (१) के द्वितीय और तृतीय परन्तुक में यशोचित संशोधन करने का प्रस्तावित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

नागपुर, **गिरीश बापट,**

दिनांकित १७ जुलै, २०१८। संसदीय कार्य मंत्री।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में उसके राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रुप में अधिनियमित होने पर, राज्य की समेकित निधि में से निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय अन्तर्ग्रस्त होंगे, अर्थात् :–

प्रस्तुत विधेयक के खंड २ में, २४ अगस्त २०१६ के प्रभाव से उक्त धारा ५ की उप-धारा (१) का प्रथम परन्तुक अपमार्जित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, ताकि राज्य विधानमंडल का सदस्य साधारण निवास करता है, या जिस स्थान पर कारोबार करता हैं जहाँ ऐसा सत्र या बैठक ली जाती है या जहाँ सदस्य के रुप में कर्तव्यों से जुड़ा कारोबार करता हैं तो, वहाँ से उक्त नियम ५ के अधीन यात्रा भत्ता के लिए भी हकदार होगा। ऐसे सदस्यों को अदा किया जानेवाला यात्रा भत्ता उपगत किये जाने के लिए अतिरिक्त आवर्ती व्यय प्रतिवर्ष लगभग ३७,१०,८४० रुपये होने का अनुमान है।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेश कि प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हूए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, २०१८ ई. पर विचार करने की अनुशंसा करते है।

विधान भवन,
नागपुर,
दिनांकित १८ जुलाई, २०१८।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C, DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004., EDITOR: SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.